न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 12/2025

1. अशोक चौधरी पुत्र नरेन्द्र कुमार, जाति जाट, निवासी चक 15 एच एम एच तहसील व जिला हनुमानगढ़

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार(भू.अ.) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ़
2. नलिनी राठी धर्मपत्नी श्री अरूण राठी जाति जाट, निवासी मकान नंबर 5, रोड़ नंबर 4/5 इस्ट पंजाब बाग, नई दिल्ली।
3. विवेक चौधरी पुत्र नरेन्द्र चौधरी जाति जाट निवासी चक 15 एच एम एच हाल आबाद भुरटवाला तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा (हरियाणा)

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ जिसकी रूह से चक 15 एच एम एच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 54 की 4.804 हैक्टेयर भूमि का विरास्तन इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त इन्तकाल आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री कैलाश कुमार धामू अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकिय अधिवक्ता।

—:निर्णयः—

दिनांकः—09.05.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 15 एच एम एच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 व पत्थर नंबर 139/265 (2) के किला नंबर 21 ता 25 कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि नरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ के नाम दर्ज थी। स्व० श्री नरेन्द्र कुमार ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से रोबरू गवाहान दिनांक 02.02.2016 को अपनी सम्पति की वसीयत निष्पादित करते हुए इसे उपपंजीयक हनुमानगढ़ से पंजीबद्ध करवाया। उक्त वर्णित 4.807 हैक्टेयर भूमि के सबंध में भी स्व० श्री नरेन्द्र कुमार ने अपनी इस रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.02.2016 में व्यवस्था करते हुए चक 15 एच एम एच के पत्थर नंबर 139/265 (2) के किला नंबर 21 ता 25 रेस्पोडेंट संख्या 2 को जरिये वसीयत दी तथा उक्त पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 से 14 कुल 14 बीघा अपीलाण्ट को वसीयत दिनाक 02.02.2016 के तहत दी। उक्त वसीयत का ज्ञान रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को प्रारम्भ से है। अपीलाण्ट के पिता का दिनांक 10.01.2023 को निधन हो गया तथा अपीलाण्ट के पिता ने इस वसीयत में रेस्पोडेंट संख्या 3 को दी हुई भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की सहमति से अपने जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज अन्तरित कर दी। अपीलाण्ट के पिता के निधन हो जाने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 3 ने लालच के वशीभूत होकर रेस्पोडेंट संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष एक राजस्व वादपत्र संख्या 44/2023 शीर्षक नलिनी राठी बनाम अशोक चौधरी आदि अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीएक्ट प्रस्तुत करवा दिया। उक्त वादपत्र के साथ रेस्पोडेंट संख्या 2 ने विविध राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2023 प्रस्तुत कर दिनांक 07.02.2023 को न्यायालय से सही व वास्तविक स्थिति छुपाकर एक पक्षीय स्थगन रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में प्राप्त कर लिया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इसलिए अपीलाण्ट को उक्त बाद का ज्ञान होते ही अपीलाण्ट ने उक्त वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनाक 24.01.2024 को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 द्वारा बहस ना कर मामला को देरीना किया गया। यह कि उक्त वादपत्र में स्थगन आदेश प्रभाव में रहने के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 2 ने रेस्पोडेंट संख्या 3 के साथ मिलीभगत कर वसीयत दिनांक 02.02.2016 का ज्ञान होने के बावजूद तहसीलदार (भू०अ०) हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त 4.807 हैक्टेयर का विरास्तन इतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तथा पटवारी हल्का से मिलीभगत कर व पूर्व पार्षद व पूर्व सभापति से उनके पद से हट जाने के बाद बिना किसी तिथि का सदस्य प्रमाण पत्र जारी करवाकर इंतकाल की कार्यवाही चालू कर दी तथा पटवारी हल्का ने भी अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बिना दिनांक 07.02.2025 को अपनी दैनिक डायरी तैयार की। पटवारी द्वारा असदभावना पूर्वक रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 से मिलीभगत कर अपनी दैनिक डायरी की रिपोर्ट में तत्समय प्रभावी स्थगन आदेश का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। चूंकि उक्त स्थगन आदेश का अंकन राजस्व अभिलेख में था। इस वजह से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 तत्समय अपने अवैध व अनुचित मकसद में कामयाब नहीं हो सके। स्थगन के बावजूद उक्त समस्त कार्यवाही करने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 ने छिपे तौर पर अपीलाण्ट अथवा अपीलाण्ट के अधिवक्ता को कोई सूचना दिये बिना न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखंड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट में पूर्व नियत तिथि दिनांक 21.03.2025 से पूर्व ही दिनांक 18.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पेशी में लेकर उसी रोज न्यायालय से सही व वास्तविक स्थिति छुपाकर असदभावना पूर्वक उक्त वर्णित 4.807 हैक्टेयर भूमि को स्थगन से मुक्त किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ ने रेस्पोडेंट संख्या 2 के उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट को कोई सूचना दिये बिना उसी रोज एकपक्षीय रूप से उक्त 4.807 हैक्टेयर भूमि के संबंध में जारी स्थगन को हटाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त स्थगन आदेश का नोट हटते ही रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर तहसीलदार (भू०अ०) हनुमानगढ़ के अवकाश पर होने का फायदा उठाकर नायब तहसीलदार नौरंगदेसर से सही व वास्तविक स्थिति छुपाकर भू–अभिलेख निरीक्षक की स्वीकृति के बिना नामान्तरण संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 को स्वीकृत करवा लिया। अपीलाण्ट इस इन्तकाल आदेश से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है– प्रश्नगत खाता संख्या 54 की 4.807 हैक्टेयर भूमि स्व० श्री नरेन्द्र कुमार की एकल खातेदारी भूमि थी जिसमें से पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 के संबंध में व्यवस्था करते हुए स्व० श्री नरेन्द्र कुमार ने दिनांक 02.02.2016 को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.02.2016 को निष्पादित की हुई थी जिसका ज्ञान प्रारम्भ से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को था तथा इस वसीयत के आधार पर की जाने वाली नामान्तरण की कार्यवाही को रोकने के लिए रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपने पिता की मृत्यु के 20 दिन बाद ही एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया ताकि वसीयत के आधार पर उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज ना हो सके। श्री नरेन्द्र कुमार की मृत्यु के एक माह के अंदर अंदर ही रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण व एकपक्षीय स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अपीलाण्ट रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.02.2016 के आधार पर नामान्तकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इस बात का फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने स्व० श्री नरेन्द्र कुमार की पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 02.02.2016 को छुपाकर कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से इंतकाल संख्या 646 दर्ज करवाया है। पटवारी हल्का को भी इस तथ्य का भली भांति ज्ञान था कि प्रश्नगत पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 की कृषि भूमि अपीलाण्ट के एकल आधिपत्य व धारण व कब्जा काश्त में है है तथा अपीलाण्ट के पक्ष में स्व० श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा वसीयत निष्पादित की हुई है फिर भी पटवारी हल्का ने अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने पदीय दायित्वों व कर्तव्यों की साशय अवहेलना करते हुए अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये बिना किसी दस्तावेजी व भौतिक जांच के आक्षेपित इंतकाल दर्ज किया है। आक्षेपित इतकाल विधि विरूद्ध रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा/स्वीकृति के बिना दर्ज किया गया है जबकि यह आज्ञापक है कि कोई भी इंतकाल दर्ज किये जाने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उसे स्वीकृत करे। हस्तगत मामला में उक्त इंतकाल भू–अभिलेख निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को बखूबी ज्ञान था कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में उनके द्वारा कार्यवाही की गई है तथा उक्त वादपत्र में तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ भी पक्षकार है तथा भूमि के संबंध में विवाद चल रहा है। इस तथ्य का ज्ञान होने के बावजूद तहसीलदार व पटवारी द्वारा अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त इंतकाल संख्या 646 एकपक्षीय रूप से विधि विरूद्ध रूप से दर्ज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के प्रावधानों के विरूद्ध होने से हस्तक्षेप योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल के आधार पर चक 15 एच एम एच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 व पत्थर नंबर 139/265 (2) के किला नंबर 21 ता 25 कुल 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज हो जाने से रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी का प्रयास करने लगे है तथा भूमि को अन्य लोगो को रहन, बैय व मुन्तकिल करने हेतु प्रयासरत हो गये है। इस प्रकार वे इस विधि विरूद्ध रूप से दर्ज इन्तकाल के आधार पर अपीलाण्ट के नीहित अधिकारों पर कुठाराघात करने लगे है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 को अपास्त फरमाया जाकर स्व० श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा निष्पादित व पंजीकृत वसीयत दिनांक 02.02.2016 के अनुसरण में चक 15 एच एम एच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 का नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 को रजिस्टर्ड सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं । रेस्पोडेन्ट सं0 03 की और से अभिभाषक श्री खुशप्रीत सिंह संधु उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 को अपास्त फरमाया जाकर स्व० श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा निष्पादित व पंजीकृत वसीयत दिनांक 02.02.2016 के अनुसरण में चक 15 एच एम एच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 138/269 (15) के किला नंबर 1 ता 14 का नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1.RRD 2014 Page 14

2. RRT 1994 Page 725 Smt- Birji Bai & Anr- Vs Gajanand

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.02.2025 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अपनी बहस में कथन किये की नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र के नाम चक नम्बर 15 एचएमएच में खाता संख्या 54 में 4.807 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा नरेन्द्र कुमार दिनांक 10.01.2023 व विमला देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार दिनांक 16.08.2009 को फौत होने उपरान्त नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज आराजी बबात मौके व रिकार्ड की विस्तृत जांच कर पटवारी हल्का द्वारा जांच बाबत दैनिक डायरी में अंकन किया जाकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विरास्तन नामान्तरण संख्या 646/26.02.2025 दर्ज किया तथा तहसीलदार (राजस्व) द्वारा विधिपूर्वक रूप से नामान्तरण तस्दीक किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में मुख्य आधार यह लिया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

लिया, जिस कारण तथाकथित वसीयत दिनांक 02.12.2016 के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सका जबकि स्थगन आदेश रेस्पोडेन्ट सख्या 2 द्वारा लिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने विधिक अधिकारो के अनुसरण में वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय सहायक कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा पारित स्थगन आदेश में संशोधन बाबत माननीय सहायक कलैक्टर महोदय, हनुमानगढ़ के समक्ष विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए विरास्तन नामान्तरण बाबत कार्यवाही नही हो सकने बाबत स्पष्ट कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु स्थगन आदेश से चक नम्बर 15 एचएमएच की 4.807 हैक्टेयर कृषि भूमि को स्थगन से मुक्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर समस्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए माननीय सहायक कलक्टर महोदय, हनुमाचगढ़ द्वारा उक्त 4.807 हैक्टेयर आराजी बाबत स्थगन आदेश अपास्त किया गया । अपीलान्ट द्वारा भू अभिलेख निरिक्षक की अभिशंषा/स्वीकृति के बिना इन्तकाल दर्ज होने का आधार अपील में लिया है जबकि माननीय राजस्थान सरकार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को इन्तकाल में अभिशंषा/स्वीकृति देने के प्रावधान को हटा दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देने का आधार लिया है जबकि नामान्तरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमें मात्र इस तथ्य की जांच कानूनन करनी होती है कि किसी वारिस को छोड़ा ना जाये, समस्त वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हो। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में ऐसा कोई आधार पर नही लिया है और ना ही ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 एवं 3 के अलावा श्री नरेन्द्र कुमार का अन्य कोई वारिस हो। तथाकथित वसीयत जो अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की गई है को आधार लेते हुए नामान्तरण सख्या 646 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है जबकि राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के नियम 131 (2) के अन्तर्गत विरास्तन नामान्तरण करते समय संक्षेप जांच करते हुए कानुनन नामान्तरण दर्ज करने बाबत प्रावधान है तथा जहां वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने का नियम है, उसमें वसीयत को सक्षम न्यायालय में वसीयत को सिद्ध किया जाकर तथा वसीयत करने की अधिकारिता को सिद्ध किया जाकर ही वसीयत के आधार पर कानुनन नामान्तरण दर्ज किया जा सकता है तथा किसी व्यक्ति के पक्ष में मात्र वसीयत होने के आधार पर तथा विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नही दिया गया होने के आधार पर विरास्तन नामान्तरण खारिज नहीं किया जा सकता, जिस बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 2008 पेज 186 Mst. Prem Bai Vs Kela Ram & Ors. रिट नम्बर 4602/2001, निर्णय दिनांक 23.07. 2007 में भी उक्त तथ्यों की ताईद की हुई है कि विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय वसीयत को मध्य नजर रखना आवश्यक नही है तथा प्रश्नगत आराजी रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 मृतक नरेन्द्र कुमार के वैधानिक उतराधिकारी है, उन्हे उनके अधिकारो से तथाकथित वसीयत के आधार पर जो अभी सिद्ध होनी है, वंचित नहीं किया जा सकता, जिस बाबत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1994, पेज 725, Smt- Birji Bai & Anr- Vs Gajanand में भी यह सिद्वान्त प्रतिपाद्वित किया है। तथाकथित वसीयत में जो सम्पति रेस्पोडेन्ट सख्या 2 व 3 को वसीयत करना दर्शाया हुआ है, वह सम्पति अपीलान्ट की पुत्री के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो चक नम्बर 15 एचएमएच, खाता संख्या 23/59, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 में विधि विरूद्ध रूप से दर्ज है, जिससे यह पूर्णत साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार की समस्त सम्पति को हडपने की नियत से मिथ्या आधारो पर उक्त अपील प्रस्तुत की है। दीनगढ़ तहसील संगरिया में स्व० श्री नरेन्द्र कुमार के पिता रामचन्द्र के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड थी तथा चक नम्बर 15 एचएमएच की प्रश्नगत आराजी व अन्य आराजी भी पूर्व में स्वर्गीय नरेन्द्र कुमार के पिता रामचन्द्र पुत्र पेमाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा अन्य सम्पतियां भी स्वर्गीय श्री नरेन्द्र कुमार व रामचन्द्र के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि की आय से व संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई थी तथा कुछ सम्पतियां विरास्तन औद हुई थी जिसकी राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा नरेन्द्र कुमार के पिता रामचन्द्र पुत्र पेमाराम द्वारा तकसीमनामा दिनांक 18.02.1970 में भी रामचन्द्र पुत्र पेमाराम द्वारा अपने तीनो पुत्र नरेन्द्र

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कुमार, सुरेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर दस्तावेज के तहत बंटवारानामा करवाकर कब्जा करवा दिये जाने के तथ्य अंकित किये है जिनमें यह पूर्णत साबित होता है कि प्रश्नगत आराजी स्वर्गीय नरेन्द्र कुमार की जद्दी जायदाद थी तथा जद्दी जायदाद में कॉ–पार्सनर होने के नाते मात्र 1/4 हिस्से बाबत ही स्वर्गीय नरेन्द्र कुमार को दस्तावेज तकमील करने के अधिकारी थे, इस कारण तथाकथित वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में अपीलान्ट को चाराजोही करनी चाहिए थी तथा तथाकथित वसीयत के आधार पर विरास्तन नामान्तरण को चुनौती नही दी जा सकती। तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विधि पूर्वक रूप से अपने अधिकारो का प्रयोग करते हुए नामान्तरण सख्या 646 दर्ज किया है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1.RRD 2008 Page 186
2. RRT 2023 (2) Page 1369

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. अपीलांट के पिता नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 15 एच.एम.एच. हनुमानगढ़ टाउन द्वारा दस्तावेज पंजीबद्ध वसीयतनामा द्वारा अपीलांट अशोक चौधरी, रेस्पोडेन्ट्स नलिनी राठी पत्नि अरूण राठी व विवेक चौधरी पुत्र नरेन्द्र कुमार के हक में दिनांक 02.02.2016 को वसीयत की हुई है।
2. न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ द्वारा नामान्तरण संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 द्वारा नरेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र की भूमि का जायज वारिसान के नाम नामान्तकरण करने का निर्णय पारित किया गया है।
3. उक्त भूमि का वसीयतनामा होने के बावजूद वारिसान के नाम नामान्तकरण करने का निर्णय पारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण से पूर्व तहसीलदार द्वारा गहन जांच नही की गई।

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ द्वारा जारी नामान्तरण संख्या 646 दिनांक 26.02.2025 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार हनुमानगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय व नामान्तरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़